एमसीएल की भुवनेश्वरी खान में प्रचालनरत सतही खनिक

वार्षिक रिपोर्ट 2016–17

3
अध्याय

नीतिगत पहलें और सुधारात्मक उपाय

नीतिगत पहलें और सुधारात्मक उपाय

कोयला क्षेत्र में उत्पादन और क्षमता बढ़ाने हेतु उपाय

अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि

12वीं योजना में सीआईएल में विस्तृत ड्रिलिंग के लिए लक्ष्य लगभग 30.20 लाख मीटर है।

पिछले चार वित्त वर्षों के दौरान, गैर–सीआईएल ब्लॉकों के विनिर्दिष्ट लक्ष्य, वास्तविक ड्रिलिंग तथा वर्ष 2016–17 के दौरान अनुमानित ड्रलिंग तथा वित्त वर्ष 2017–18 के लिए लक्ष्य इस प्रकार हैः–

(ड्रिलिंग लाख मीटर में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष के संदर्भ में % वृद्धि
2012-13	04.07	3.35	23.20
2013-14	05.38	4.59	37.01
2014-15	07.89	5.46	18.95
2015-16	10.18	7.07	28.57
2016-17	07.52	7.72 (अनुमानित)	9.97 (अनुमानित)
2017-18	8.24		

लक्ष्य प्राप्ति में कमी के कई कारण हैं जिनमें कई कोयला ब्लॉकों में एक गंभीर कानून तथा व्यवस्था की समस्या, वन अनुमोदन की अनुपलब्धता, निजी क्षेत्र में कुशल जनशक्ति का अभाव तथा अपर्याप्त क्षमताएं शामिल हैं। इसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रमुख सार्वभौम कंपनियेां को आकर्षित करने हेतु एक नीतिगत आदेश के साथ आगामी वर्षों में सीएमपीडीआईएल को सुदृढ़ करने की आयोजना की जा रही है। अन्वेषण प्रस्ताव के अनुमोदन में तेजी लाने के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा कोयला नियंत्रक द्वारा वन संबंधी मंजूरी की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाया जा रहा है।

सीएमपीडीआईएल गैर–सीआईएल ब्लॉकों में विस्तृत ड्रिलिंग की योजना स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए नोडल अभिकरण है। सीएमपीडीआईएल, एमईसीएल तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य का निष्पादन करता है। सीआईएल ब्लॉकों में पिछले चार वित्तीय वर्षों के दौरान वास्तविक ड्रिलिंग तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान अनुमानित ड्रिलिंग तथा वित्त वर्ष 2017–18 के लिए लक्ष्य निम्नवत हैं:–

(ड्रिलिंग लाख मीटर में)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	पिछले वर्ष के संदर्भ में % वृद्धि
2012-13	1.75	2.28	2.70
2013-14	3.62	2.38	4.39
2014-15	4.16	2.82	18.48
2015-16	4.82	2.87	1.77
2016-17	3.48	3.48 (अनुमानित)	2.81 (अनुमानित)
2017-18	3.46		

12वीं योजना अवधि के दौरान 58 गैर–सीआईएल ब्लॉकों में 19.03 लाख मीटर की ड्रिलिंग की आयोजना की गई है।

कोयला उत्पादन में वृद्धि करने के लिए नवीकृत नीति पर जोर देना

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

वर्ष 2019–20 तक कोयले का 1 बिलियन टन उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजना बनाने हेतु कार्रवाई की गई है। अब तक वर्ष 2019–20 में लगभग 908.10 मि.टन उत्पादन करने के लिए खानों/परियोजनाओं की पहचान की गई है और 1 बिलियन टन की शेष उत्पादन क्षमता हेतु परियोजनाओं का पता लगाया जा रहा है। वर्ष 2016–17 के दौरान कोयला मंत्रालय के वार्षिक योजना दस्तावेज के अनुसार कोयला उत्पादन का लक्ष्य 98 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति के साथ वर्ष 2017–18 के दौरान उत्पादन दस्तावेज के अनुसार कोयले के उत्पादन का अनुमानित लक्ष्य 660.68 मिलियन टन है जिसमें एनईसी का उत्पादन शामिल नहीं है। वर्ष 2015–16, 2016–17 तथा 2017–18 के अनुसार ग्रुपवार उत्पादन अनुमान इस प्रकार है:

सीआईएल	2015-2016		2016-2017	2017-2018
	बजट अनुमान	वास्तविक अनुमान	अ.ल.	1 बि. टन अनुमान
मौजूदा परियोजनाएं (राष्ट्रीयकरण के समय ली गई खानें)	36.61	37.14	37.91	49.86
पूरी की गईं परियोजनाएं (खानों ने अपनी अधिकतम क्षमता प्राप्त कर ली)	193.12	231.14	209.54	127.38
चल रही परियोजनाएं (खानों को अभी अधिकतम क्षमता प्राप्त करनी है)	317.52	267.69	349.43	437.56
भावी परियोजनाएं	2.75	0.50	1.73	45.89
गारे पाल्मा		2.28		
कुल	**550**	**538.75**	**598.61**	**660.68**

परियोजनाओं को पूर्ण करना तथा मौजूदा परियोजनाओं का विस्तार

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

153 चालू परियोजनाएं विभिन्न चरणों में कार्यान्वयनाधीन हैं। 3 मि.ट. वार्षिक तथा इससे अधिक की क्षमता सहित 500 करोड़ रूपए तथा इससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा सचिव, कोयला मंत्रालय द्वारा तिमाही आधार पर की जाती है । 150 करोड़ रूपए तथा इससे अधिक की लागत वाली सभी परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा की जाती है। इसके अलावा, कोयला परियोजना मॉनीटरिंग (सीपीएमपी) और मंत्रिमंडल सचिवालय की बेवसाइट पीएमजी पर प्राप्त अद्यतन सूचना के जरिए सीआईएल की चालू परियोजनाओं की निगरानी करता है।

सीआईएल ने 2019–20 तक 01 बिलियन टन कोयला उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 64 भावी परियोजनाओं की पहचान भी की है। इनमें से 180.51 मिलियन टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाली तथा 28913.08 करोड़ रुपए की पूंजी व्यय वाली 21 परियोजना का अब तक अनुमोदन किया।

कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे उपाय

वर्ष 2016–17 के दौरान सीआईएल की चल रही परियोजनाओं से कोयले का लक्षित उत्पादन 349.43 मिलियन टन था (संदर्भ वार्षिक योजना, 2016–17, कोयला मंत्रालय) । वर्ष 2017–18 के दौरान सीआईएल ने 437.56 मिलियन टन उत्पादन की परिकल्पना (संदर्भ 01 बिलियन टन दस्तावेज, सीआईएल) की है। चालू परियोजनाओं से 88.13 मिलियन टन की वृद्धि। इसी प्रकार भावी परियोजनाओं से वर्ष 2017–18 के दौरान 44.16 मिलियन टन उत्पादन की वृद्धि होगी।

सीआईएल के संबंध में यह योजना है कि चार सहायक कंपनियों अर्थात एसईसीएल, एमसीएल, सीसीएल तथा एनसीएल से मौजूदा तथा भावी परियोजनाओं के ग्रुप से उत्पादन में वृद्धि की जाएगी। 153 मौजूदा परियोजनाओं में से 82 परियोजनाओं के लिए मंजूरियां उपलब्ध हैं और इनकी कुल उत्पादन क्षमता 211. 48 एमटी है। इन 82 परियोजनाओं से वर्ष 2015–16 के दौरान 138.25 मिलियन टन का उत्पादन प्राप्त हुआ है।

424.06 एमटीवाई की कुल क्षमता वाली 71 परियोजनाओं को अपनी योजनाबद्ध उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए मंजूरियों की आवश्यकता होगी। तथापि वन भूमि के संबंध में प्राप्त आंशिक मंजूरियों के परिणामतः इन परियोजनाओं से वर्ष 2015–16 के दौरान 114.85 एमटी उत्पादन हुआ।

कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए सीआईएल ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

➢ अत्याधुनिक मशीनीकरण के साथ उच्च क्षमता वाली खानों की योजना बनाई जा रही है।

- भौगोलिक खनन स्थितियों पर निर्भर करते हुए भूमिगत तथा ओपनकास्ट दोनों ही प्रकार की खानों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए खानों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
- कार्यकुशलता को बेहतर बनाकर एवं आधुनिकीकरण करके क्षमता संबंधी उपयोग को बेहतर बनाया जा रहा है।
- कार्यक्रम के अनुसार उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मौजूदा परियोजनाओं का समयबद्ध आधार पर कार्यान्वयन का सुनिश्चय करना।
- ईपी अधिनियम, 2006 के तहत विशेष प्रयासों से मौजूदा परियोजनाओं की क्षमता में वृद्धि करना।
- परियोजना से संबंधित मसलों के समाधान हेतु संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ बातचीत की प्रभावी मॉनीटरिंग तथा अनुवर्ती कार्रवाई।
- कोयला मंत्रालय से प्रभावी और निरंतर सहायता।

सीआईएल में खानों का प्रौद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण

यूजी खानों सहित सीआईएल खानों में मौजूदा प्रौद्योगिकी के उन्नयन की आवश्यकता तथा और अधिक आधुनिकीकरण की गुंजाइश का आकलन करने के लिए मैसर्स केपीएमजी द्वारा अध्ययन किया गया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो कार्यान्वयन हेतु जांच के अधीन है।

इसके अतिरिक्त सीआईएल/सीएमपीडीआई, सीआईएल की भूमिगत खानों से कोयला उत्पादन में गिरावट को देखते हुए भूमिगत खानों के संबंध में विशिष्ट अध्ययन हेतु परामर्शदाता के चयन की तैयारी कर रहे हैं।

भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त/रद्द की गईं कोयला खानें

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द की गईं 204 कोयला खानों का आबंटन अब कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के उपबंधों के अधीन किया जाता है। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अब तक 83 कोयला खानों का आबंटन सफलतापूर्वक किया जा चुका है। इन 83 कोयला खानों में से 31 कोयला खानों का आबंटन ई–नीलामी के जरिए (निजी कंपनियों को 30 तथा सरकारी कंपनी को 01) किया गया है और 52 कोयला खानों का आबंटन सरकारी कंपनियों को किया गया है।

इन 83 कोयला खानों का क्षेत्रवार आबंटन इस प्रकार है– नियंत्रित क्षेत्र अर्थात् विद्युत को 50 कोयला खानें, नियंत्रण मुक्त क्षेत्र अर्थात् लोहा और इस्पात, सीमेंट और कैप्टिव विद्युत को 26 कोयला खानें तथा कोयले की बिक्री हेतु 07 कोयला खानें।

83 कोयला खानों का क्षेत्रवार आबंटन का विवरण इस प्रकार है:

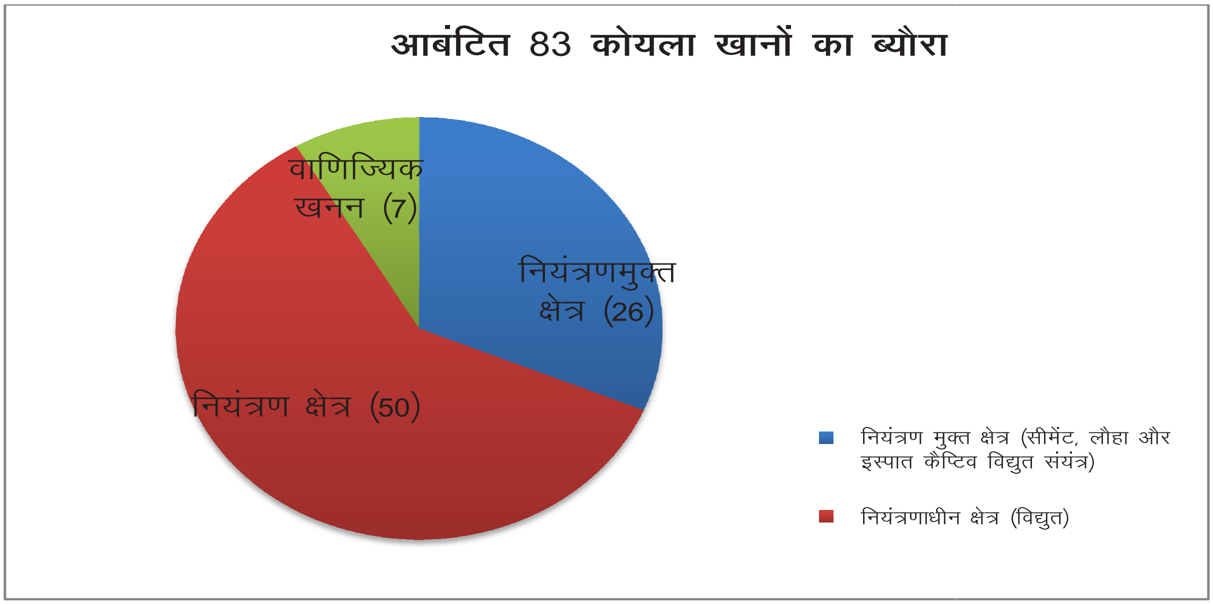

कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) को कोयला बिक्री के लिए कोयला खानों/ब्लॉकों के आबंटन हेतु अफ्रंट भुगतान तथा आरक्षित मूल्य से संबंधित कार्यप्रणाली लागू है, कोयले की बिक्री/वाणिज्यिक खनन हेतु राज्य पीएसयू को आबंटन हेतु 16 कोयला खानों की पेशकश की गई थी। इन 16 कोयला खानों में से 08 कोयला खानों को मेजबान राज्य की पीएसयू के लिए रखा गया था जबकि शेष को अन्य राज्यों की पीएसयू के लिए रखा गया था। तदनुसार कोयला धारी मेजबान राज्यों की पीएसयू को 05 कोयला खानों का आबंटन किया गया है और कोयले की बिक्री हेतु अन्य राज्यों की पीएसयू को 02 कोयला खानों का आबंटन किया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख है इस प्रकार कोयले की बिक्री (वाणिज्यिक खनन) हेतु 07 कोयला खाने आबंटित की जा चुकी हैं। उपर्युक्त 07 कोयला खानों की आबंटी कंपनियों के साथ आबंटन करार भी निष्पादित किए जा चुके हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द की गई 204 कोयला खानों में से कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 की अनुसूची–II के अधीन 42 कोयला खानें शामिल हैं जो कार्यरत/उत्पादन के लिए तैयार थीं । 42 अनुसूची ।। कोयला खानों में से कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के उपबंधों के अधीन 35 कोयला खानों की नीलामी/आबंटन किया जा चुका हैं जिनमें खनन परिचालन शुरू हो गया है/12 अनुसूची II (नीलाम की गईं 10 और आबंटित की गईं 02) कोयला खानों को खान खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त एक अनुसूची III कोयला खान भी परिचालनरत है। शेष अनुसूची II कोयला खानों के संबंध में आवश्यक सांविधिक मंजूरियां प्राप्त करने के बाद तथा खनन ठेकेदार की नियुक्ति के बाद खनन परिचालन शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अतिरिक्त आबंटी कंपनियों के साथ संपन्न करारों में विनिर्दिष्ट दक्षता पैरामीटरों के अनुसार कोयला खानों के विकास की मॉनीटरिंग नियमित आधार पर की जा रही है।

नीलाम की गई अनुसूची –II कोयला खानों, जिनमें खनन परिचालन शुरू हो गया है, का विवरण निम्नानुसार है:

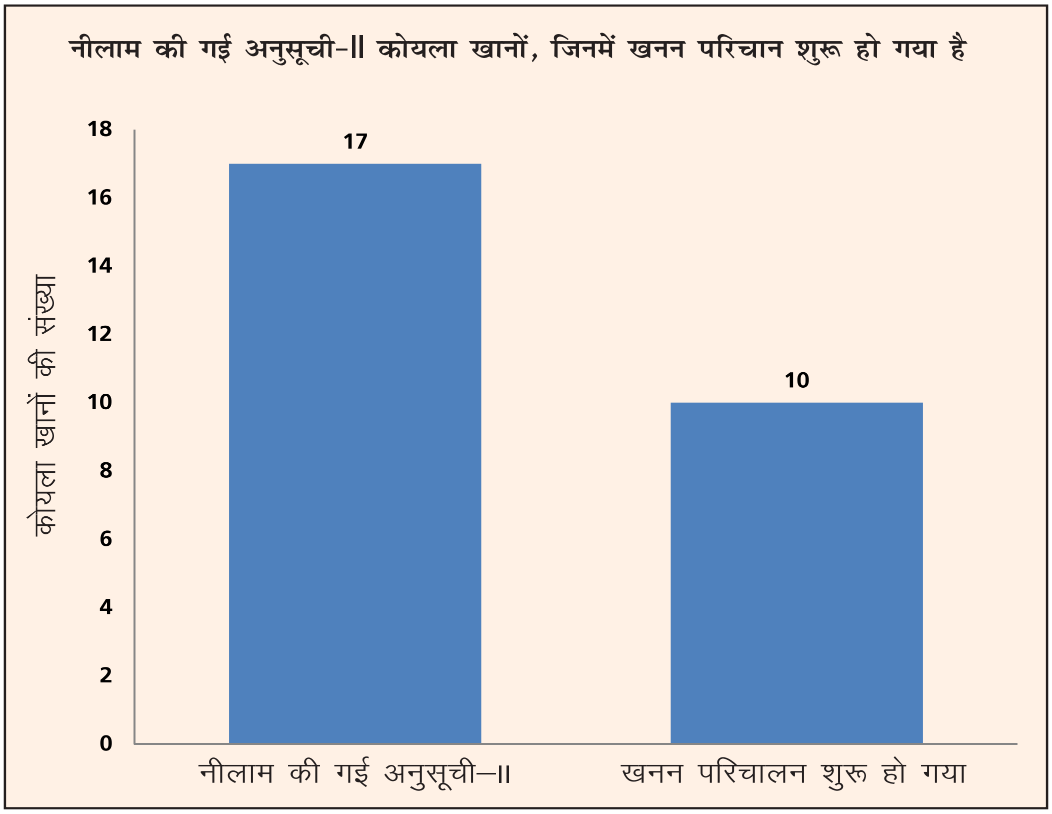

खान की कार्यावधि/पट्टावधि के दौरान अनुमान लगाया गया है कि अब तक आंबटित 83 कोयला खानों से प्राप्त नीलामी तथा आबंटन से प्राप्त होने वाली सकल धनराशि 3.95 लाख करोड़ रुपए होगी जो कोयलाधारी राज्यों को मिलेगी।

83 कोयला खानों के संबंध में नीलामी तथा आबंटन से प्राप्त होने वाली अनुमानित सकल धनराशि का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

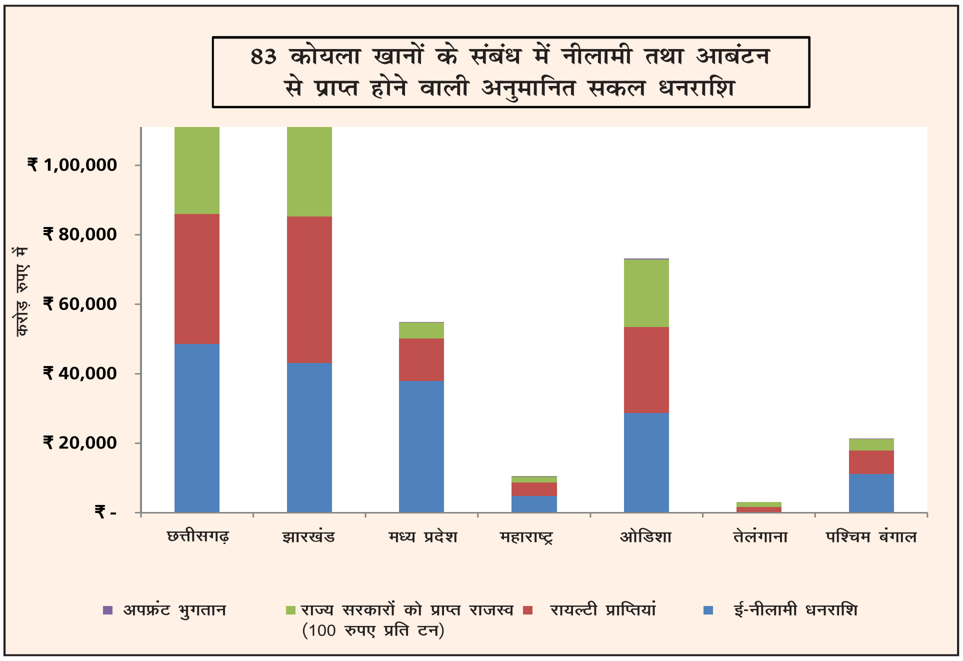

विद्युत क्षेत्र को नीलाम की गई 09 कोयला खानों से विद्युत शुल्कों में कमी के संदर्भ में उपभोक्ताओं को लगभग 69,310.97 करोड़ रुपए का लाभ मिलने का अनुमान है। दिसंबर, 2016 तक इन कोयला खानों से 3,048.01 करोड़ रुपए की अनुमानित धनराशि का वास्तविक राजस्व प्राप्त हुआ (रॉयल्टी, उपकर और करों को छोड़कर)।

प्राप्त राजस्व राशि का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित हैः

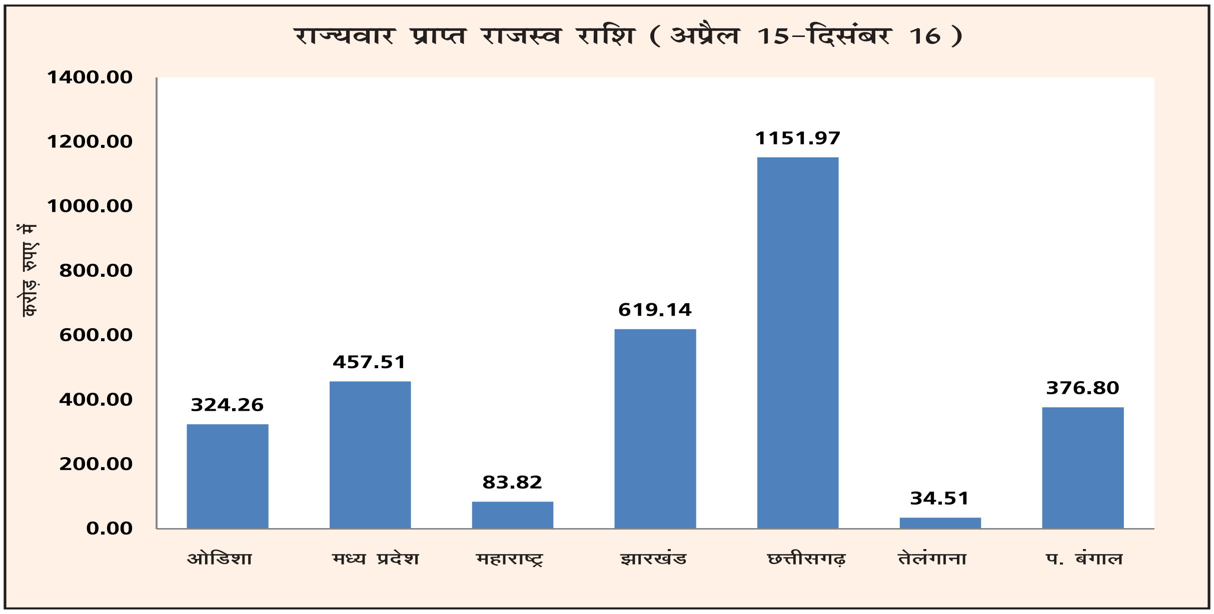

एमएमडीआर अधिनियम के अधीन कोयला/लिग्लाइट ब्लाकों का आबंटन

कोयला खानों की प्रतियोगी विडिंग द्वारा नीलामी नियम, 2012 के उपबंधों के अधीन 11 कोयला ब्लॉकों का आबंटन अन्त्य विद्युत प्रयोग के लिए तथा दो कोयला ब्लॉकों का आबंटन सरकारी कंपनियों को वाणिज्यिक खनन के लिए किया गया था। 08 कोयला ब्लॉकों के संबंध में आबंटी कंपनियों के साथ कोयला ब्लॉक का विकास तथा उत्पादन करार संपन्न किया गया है।

इसके अतिरिक्त 03 लिग्नाईट ब्लॉक गुजरात राज्य की कंपनियों को आबंटित किए गए हैं जिनमें से एक लिग्नाईट ब्लॉक का आबंटन अन्त्य विद्युत उपयोग तथा दो लिग्नाईट ब्लाकों का आबंटन वाणिज्यिक खनन के लिए किया गया है। एक लिग्नाईट ब्लॉक के संबंध में आबंटी कंपनी के साथ लिगनाईट ब्लॉक का विकास तथा उत्पादन करार संपन्न किया गया है।

गुणवत्ता तथा तृतीय पक्ष सैम्पलिंग–हाल ही में लिए गए निर्णय

सेंट्रल इंस्टिट्यूट फॉर माईनिंग एंड फ्यूल रिसर्च (सीआईएमएफआर) द्वारा विद्युत संयंत्र तथा कोयला कंपनियों दोनों की ओर से लदान स्थल पर एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष एजेंसी को पैनल बद्ध किया गया है। यह पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से तृतीय पक्ष एजेंसियों को सूची में शामिल करेगा। यह नई प्रणाली 01.01.2016 से शुरू हुई है।

सीआईएमएफआर ने विद्युत क्षेत्र एककों को गई 304 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति के संबंध में त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन संपन्न किए हैं। 30.12.2016 की स्थिति के अनुसार सीआईएमएफआर ने 337.773 मि.टन कोयले की सैंपलिंग का कार्य शुरू कर दिया है और 149.931 मि.टन कोयले की सैंपलिंग का कार्य सीआईएमएफआर द्वारा अभी शुरू किया जाना है।

सीआईएमएफआर को कोयला मंत्रालय ने यह निदेश दिया है कि वह 15 दिन के भीतर भेजे गए नमूनों का परिणाम घोषित करे।

कोयला लिंकेज का युक्तीकरण

कोयला मंत्रालय द्वारा परिवहन लागत को ईष्टतम बनाने के उद्देश्य से मौजूदा कोयला स्रोतों तथा इन स्रोतों को युक्तिसंगत बनाने की व्यवहार्यता की व्यापक समीक्षा करने के लिए अंतर्मंत्रालयी कार्यबल का जून 2014 में गठन किया गया है। इस कार्य के भाग के रूप में स्रोतों को युक्तिसंगत बनाने का कार्य निम्नलिखित मामलों में किया गया है:

युग्तिकरण चरण	युक्तिकरण मात्रा (मि. टन)	परिवहन लागत में अनुमानित वार्षिक बचत (करोड़ रु.)
आईएमटीएफ – स्रोत युक्तिकरण	24.2	1013
आईएमटीएफ – स्रोतों का स्वैपिंग	1.3	458
कार्यपश्चात – आईएमटीएफ	15.0	1032
कुल	**40.5**	**2503**

पुराने संयंत्रों को हटाने और नए संयंत्रों को लगाने के समय पुराने संयंत्रों को दिए गए कोयला लिंकेज/एलओए का स्वतः अंतरण

पुराने संयंत्रों को हटाने और उनके स्थान पर नए संयंत्र लगाते समय पुराने संयंत्रों को दिए गए कोयला लिंकेज/एलओए के स्वतः अंतरण हेतु नीतिगत दिशा–निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

इन दिशा–निर्देशों के अधीन पुराने संयंत्रों को दिए गए एलओए/लिंकेज अति महत्वपूर्ण क्षमता वाले नए संयंत्रों को स्वतः अंतरित हो जाएगें। यदि नए महत्वपूर्ण संयंत्र की क्षमता पुराने संयंत्र की क्षमता से अधिक है तो उपलब्धता को देखते हुए अतिरिक्त कोयला प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा । यह नीति केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही उन पूर्व–एनसीडीपी संयंत्रों पर लागू होगी जिन्हें दीर्घावधिक लिंकेज/एलओए पहले ही प्रदान कर दिए गए हैं। पुराने संयंत्र से नए यूनिट को लिंकेज/एलओए का राज्य से बाहर स्वतः अंतरण की अनुमति दी जाएगी जिसमें केंद्रीय क्षेत्र में थर्मल पावर संयंत्रों के लिए पुराना यूनिट स्थित था।

कोयला लिंकेजों की पारदर्शी नीलामी

नियंत्रण मुक्त क्षेत्र अर्थात सीमेंट, इस्पात/स्पंज आयरन, एल्यूमीनियम तथा अन्य 'उर्वरक (यूरिया) क्षेत्र को छोड़कर, के संबंध में लिंकेज/एलओए के संबंध में समस्त आबंटन अब से नीलामी पर आधारित होगें। नियंत्रणमुक्त क्षेत्र के लिंकेजों की नीलामी पर आधारित नीति का अनुमोदन सीसीईए द्वारा 15.02.2016 को किया गया है। कोयला लिंकेज की प्रस्तावित नीलामी पारदर्शी है, और इसमें प्रतियोगिता की गुंजाइश है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सभी विपणन सहभागियों को उनके आकार–प्रकार पर ध्यान न देते हुए कोयला लिंकेज प्राप्त करने का उचित अवसर मिलेगा। नीलामी पद्धति के परिणामतः बाजार तंत्र के जरिए मूल्य निर्धारित होगा इसका उद्देश्य अधिक–से–अधिक राजस्व अर्जन नहीं है।

सीआईएल ने नियंत्रण मुक्त क्षेत्र के लिए लिंकेज के संबंध में नीलामी का प्रथम चरण पूरा कर लिया है। समाप्त एफएसए को देखते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तथा 23.75 एमटीपीए का वृद्धिक उत्पादन लिंकेज की नीलामी का पात्र बन गया है। इस प्रक्रिया के अधीन उप क्षेत्रों अर्थात् स्पंज आयरन सीमेंट और कैप्टिव पावर संयत्रों (सीपीपी) के संबंध में नीलामी की गई।

स्पंज आयरन की बिना बोली की मात्रा (1.73 एमटीपीए तथा सीमेंट की 1.47 एमटीपीए) को पेशकश हेतु सीपीपी क्षेत्र के लिए पुनः निर्धारित किया गया था। सीपीपी से शेष बची मात्रा को अन्य उपक्षेत्र के लिए पेशकश पूल हेतु जोड़ दिया गया था। सीीी उपक्षेत्रों के लिए निर्धारित कुल मात्रा 23.75 एमटी थी जिसमें से 22.14 मिलियन टन बुक हो गई थी और 1.61 मि टन अनबुक शेष बची थी। सीपीपी उपक्षेत्र के लिए सीसीईए द्वारा जारी खपत मानदंडों का पालन किया गया था। संयुक्त उत्पादन संयंत्रों को सीपीपी उपक्षेत्र में भाग लेने का विकल्प भी दिया गया था। इसके परिणामतः सीपीपी उपक्षेत्र में सफलता की दर 96 प्रतिशत रही।

नीलामी का चरण–।। 17.01.2017 से शुरू होना निर्धारित है जिसमें 14.5 मि.टन की पेशकश की जाएगी। इसके अतिरिक्त लगभग 05 मिलियन टन मात्रा के लिए नीलामी स्पजं आयरन उपक्षेत्र से शुरू होगी। कोकिंग कोल उपभोक्ताओं के लिए नीलामी चरण–II के अंतर्गत प्रथक दौर में की जाएगी।

ब्रिज लिंकेज संबंधी नीति

केंद्र तथा राज्यों के ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (विद्युत तथा गैर–विद्युत दोनों क्षेत्रों में) के विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग संयंत्रों को 'ब्रिज लिंकेज' प्रदान करने संबंधी नीतिगत दिशा–निर्देश सभी संबंधितों को परिचालित कर दिए गए हैं जिन्हें कोयला खान/ब्लाक आबंटित किये गए हैं। 'ब्रिज लिंकेज' केंद्र तथा राज्य पीएसयू के विनिर्दिष्ट अन्त्य उपयोग वाले संयंत्रों की कोयला आवश्यकता तथा एमएमडीआर अधिनियम के अधीन आबंटित अनुसूची– III कोयला खानों से कोयले का उत्पादन शुरू होने के बीच अंतर को पाटने के लिए अल्पावधिक लिंकेज के रूप में कार्य करेगा।

कोयले की धुलाई पर बल

500 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित तापीय विद्युत स्टेशनों को 34% से कम राख की मात्रा वाले कोयले की आपूर्ति हेतु पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुपालन में सीआईएल ने 75.5 एमटीपीए की कुल क्षमता वाली 09 नई नॉन–कोकिंग कोल वाशरियों की स्थापना हेतु योजना बनाई है। इसके अलावा 18.6 एमटीपीए की कुल क्षमता की 6 नई कोकिंग कोल वाशरियां भी कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त बीसीसीएल और सीसीएल के कमांड क्षेत्रों में अतिरिक्त कोकिंग कोल वाशरियों का निर्माण करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आयात किए जाने वाले कोकिंग कोल की मात्रा कम हो सके और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत हो सके।

आग लगने, धंसाव तथा पुनर्वास क्षेत्रों संबंधी समस्याओं का समाधान करने हेतु मास्टर प्लान

79वीं सीसीडीए समिति ने ईसीएल और बीसीसीएल के प्रतिनिधियों को निदेश दिया कि वे उच्चाधिकार प्राप्त केंद्रीय समिति (एचपीसीसी) की विगत बैठक में विचार किए गए मुद्दों को देखते हुए एडीडीए और जेआरडीए की सलाह से अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करें।

भूमि के पुनरूद्धार के लिए सेटेलाइट निगरानी

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

सतत विकास के लिए खनित क्षेत्रों का पुनरूद्धार महत्वपूर्ण है। उपयुक्त पुनरूद्धार (तकनीकी तथा जैविक दोनों) तथा खान क्लोजर पर बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय रिमोट सेसिंग केन्द्र, हैदराबाद के साथ भागीदारी द्वारा भूमि के पुनरूद्धार के लिए सेटेलाइट निगरानी पर अपेक्षित बल दिया जा रहा है। 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार सेटेलाइट आंकड़ों के आधार पर मॉनीटर की जा रही 155 परियोजनाओं के संबंध

में वर्ष 2015–16 के लिए उत्खनित तथा पुनरूद्धार किए गए क्षेत्र के कंपनी–वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं–

कंपनी	उत्खनित भूमि (हैक्टेयर)	पुनरुद्धार की गई भूमि (हेक्टेयर)		कुल पुनरुद्धार की गई भूमि (हेक्टेयर)
		जैविक	तकनीकी	
डब्ल्यूसीएल	11724.29	4385.51	5008.11	9393.62
एसईसीएल	11387.03	5347.80	3735.78	9083.58
एनसीएल	11505.00	5752.00	3103.00	8855.00
एनसीएल	5079.53	1508.32	1863.31	3371.63
सीसीएल	7977.00	3181.29	2502.69	5683.98
बीसीसीएल	1195.70	216.61	789.12	1005.73
ईसीएल	2340.05	631.07	1204.07	1835.14
एनईसी	279.29	118.57	120.92	239.49
कुल	51487.89 (100%)	21141.17 (41%)	18327.00 (35.6%)	39468.17 (76.6%)

वर्ष 2016–17 के संबंध में इमेज व्याख्या तथा विश्लेषण का कार्य चल रहा है और अंतिम संकलन के बाद विश्लेषण के परिणाम फरवरी के अंत तक प्राप्त होने की उम्मीद है।

सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल):

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कोयला खनन परियोजनाओं को जारी की गईं पर्यावरण संबंधी मंजूरियों की शर्तों में एक शर्त यह निर्धारित की है कि "भूमि उपयोग पद्धति की मॉनीटरिंग करने के लिए तथा खनन के उपरांत भूमि के उपयोग के लिए परियोजना के शुरू होने से पहले खान की कार्यावधि समाप्त होने तक कोर और वफर जोन की उपग्रह इमेजनरी (1:5000 के स्केल पर) आधारित भूमि के उपयोग संबंधी समय सीरीज नक्शे 3 वर्षों में एक बार तैयार किए जाएंगें। किसी सीजन विशेष के लिए जो समय–सीरीज के अनुरूप हो और इसकी रिपोर्ट पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा बंगलौर स्थित इसके क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जाए।"

इसके अतिरिक्त कोयला मंत्रालय ने सभी कोयला खनन कंपनियों को यह सलाह दी थी कि सभी ओपनकास्ट खानों को उपग्रह निगरानी के अधीन लाया जाए ताकि भूमि के उद्धार की सार्वधिक मानीटरिंग की जा सके।

तदनुसार सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड सैटेलाइट इमेजनरी नक्शों के माध्यम से भूमि उपयोग पद्धति की मानीटरिंग करने की शर्त का अनुपालन कर रही है तथा पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा बंगलौर स्थित इसके क्षेत्रीय कार्यालय को 3 वर्षों में एक बार अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रही है।

इसके अतिरिक्त एससीसीएल में ओपनकास्ट खानों के संबंध में उत्खनित एवं उद्धार की गई भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है:–

कंपनी	उत्खनित की गई भूमि (हेक्ट.)	उद्धार की गई भूमि (हेक्ट.)
एससीसीएल	4571.35 हेक.	1691.11 हेक्. *(37%)

* अधिकतर ओसी परियोजनाओं का परिचालन रिले परियोजनाओं के रूप में किया जा रहा है तथा बैक फिलिंग कार्य अभी भी जारी है। बैकफील्ड क्षेत्रों का जैविक उद्धार अनुमोदित खनन योजनाओं के कार्यक्रमों के अनुसार अंतिम प्रोफाइल के बाद किया जाएगा।

उत्पादकता मानदंडों की समीक्षा

विभिन्न समितियों ने समय–समय पर हैवी अर्थ मूवींग मशीनरी (एचईएमएम) की उत्पादकता से संबंधित मुद्दे की जांच की है। इसके अतिरिक्त सीएमपीडीआई ने हैवी अर्थ मूवींग मशीनरी (एचईएमएम) की उपलब्धता तथा उपयोगिता मानदंडों की समीक्षा करने हेतु मई 2013 में एक समिति का गठन किया था। एचईएमएम की उपलब्धता तथा उपयोग मानदंडों की समीक्षा से संबंधित समिति की रिपोर्ट सीआईएल को मई 2015 में प्रस्तुत की गई है।

सीआईएल बोर्ड की सलाह के अनुसार भूमिगत खानों में उपयोग में लाए जाने वाले साईड डिस्चार्ज लोडरों (एसडीएल) तथा

लोड हॉल डंपरों (एलएचडी) के उत्पादकता मानदंडों की समीक्षा हेतु सीआईएल द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अप्रैल 214 में सीआईएल को अपनी प्रारूप रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। एससीसीएल द्वारा एचईएमएम निष्पादन हेतु सीएमपीडीआईएल मानदंडों का अनुपालन किया जा रहा है। भूमिगत मशीनों से संबंधित मानदंडों की समीक्षा की जा रही है और खानों की भू–गर्भीय स्थितियों, विगत निष्पादन आदि जैसे विभिन्न पैमानों के आधार पर उन्हें वार्षिक आधार पर संशोधित किया जाता है।

कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के संबंध में नीतिगत पहलें और सुधारात्मक उपाय

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियां तथा नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल) सीएसआर नीति के अनुसार विभिन्न कल्याण कार्यकलाप कर रही हैं। लोक उद्यम विभाग के दिशा–निर्देशों के अनुसार सीएसआर के अधीन निधियों का आबंटन किया जाता है। ये दिशा–निर्देश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 (1) पर आधारित हैं जिसमें तत्काल 3 पूर्ववर्ती वित्त वर्षों के लिए कंपनी के निवल औसत लाभ का कम–से–कम दो प्रतिशत व्यय करने का प्रावधान है। जबकि नेयवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि. (एनएलसी) ने उपर्युक्त से अधिक सीएसआर निधियों का आबंटन किया है लेकिन कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने अपनी नीति तैयार की है और तत्काल 3 पूर्ववर्ती वित्त वर्षों के लिए कंपनी के निवल औसत लाभ के दो प्रतिशत अथवा विगत वर्ष के दो रुपए प्रतिटन कोयला उत्पादन पर आधारित, इनमें से जो भी अधिक हो, निधियां आबंटित की हैं।

विगत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), उसकी सहायक कंपनियों तथा एनएलसीआईएल द्वारा कार्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अधीन निर्धारित की गई राशि का कंपनीवार ब्यौरा इस प्रकार है:

(आंकड़े करोड़ रु. में)

कंपनी 1. कोल इंडिया तथा इसकी सहायक कंपनियां	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
	आबंटित	उपयोग की गई	आबंटित	उपयोग की गई	आबंटित	उपयोग की गई	आबंटित	उपयोग की गई (अप्रैल–दिसं. 16)
ईसीएल	29.35	---	37.90	24.85	46.22	62.61	29.17	1.30
बीसीसीएल	30.50	20.00	30.00	14.33	48.67	50.67	26.85	6.02
सीसीएल	26.42	26.94	47.86	48.87	350.67	212.79	55.90	28.76
डब्ल्यूसीएल	29.46	23.80	7.96	20.15	91.92	65.27	8.96	4.14
एसईसीएल	63.94	43.91	129.97	40.43	379.46	270.85	228.85	49.21
एमसीएल	101.72	111.48	113.96	61.30	421.50	184.64	207.72	135.54
एनसीएल	48.99	39.72	80.28	61.77	196.25	153.97	74.23	36.73
सीएमपीडीआईएल	1.82	01.82	2.00	1.68	2.00	2.01	1.20	0.34
सीआईएल और एनईसी	142.16	141.70	24.04	24.72	98.85	73.26	127.34	45.44
2. नेयवेली लिग्ना. इट कार्पोरेशन लि. मिटेड (एलएनसी)	26.04	26.30	41.60	47.49	44.27	81.93	43.46	17.56

विगत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान सीएसआर निधि से निजी कोयला ब्लॉक डेवलपरों द्वारा निर्धारित तथा उपयोग में लाई गई राशि का विवरण निम्नलिखित हैः

(लाख रु.)

निजी कोयला कंपनी का नाम	2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
	आबंटित	उपयोग की गई	आबंटित	उपयोग की गई	आबंटित	उपयोग की गई	आबंटित	उपयोग की गई (अप्रैल–दिसं. 16)
सनफ्लेग आयरन एंड स्टील कंपनी लि. को प्राप्त बेलगांव* भूमिगत कोयला खान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	25	25	17	5
मैसर्स रिलायंस सीमेंट कंपनी की सियाल घोगरी	-	-	शून्य	शून्य	12	शून्य	24 (विगत वर्ष की अंतरित राशि सहित)	7.30
मैसर्स @ जीएमआर छत्तीसगढ़ एनर्जी लि. की तालाबीरा कोयला खान	-	-	-	-	56	15.59	58.6 (विगत वर्ष की अंतरित राशि सहित)	35.51
सासन पावर लि. की मोहार और मोहार अमलाहरी	539	539	470	470	422	422	451	160

*क. 01.04.2015 से नीलामी के जरिए आबंटित खान। इस प्रकार केवल दो वर्ष की परिचालन अवधि हिसाब में ली गई

ख) एकीकृत इस्पात संयंत्र को कैप्टिव उपयोग हेतु आबंटित कोस्ट माइन । इस प्रकार कोई प्रथक तुलन पत्र अथवा लाभ–हानि लेखा नहीं है।

ग) कंपनी के कुल वास्तविक परिचालन के लिए कार्यवार कोयला खान केवल 10 प्रतिशत है।

@ वर्ष 2015–16 के दौरान सीएसआर के संबंध में व्यय कम था क्योंकि जीसीईएल एक नया आबंटी था। 31.03.2017 तक 50,16,561 रुपए का व्यय सीएसआर के तहत व्यय किया जाएगा । शेष रकम को अगले वर्ष के लिए अग्रेषित कर दिया जाएगा।